FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Supply Revision Case No.-134 /2024]

Bhupendra Kumar...Appellant

Versus

The State of Bihar ....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	15.4.2026	(see below)	

15.4.2026

आदेश

यह आपूर्ति पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के आपूर्ति अपील वाद संख्या-11/2022 में दिनांक-25.12.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है।

दिनांक-04.4.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। पुनरीक्षणकर्त्ता का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी राज्य का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों/ LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, निर्मली द्वारा दिनांक-21.2.2022 को श्री भूपेन्द्र कुमार के P.D.S दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत निम्नांकित अनियमितता पायी गई:-

1. दिनांक-21.02.2022 को श्री भूपेन्द्र कुमार, ज.वि.प्र. विक्रेता मझारी के दुकान के भंडार का भौतिक सत्यापन में 1120 कि.ग्रा. गेहूँ एवं 39 कि.ग्रा. चावल कम होने के कारण विक्रेता के विरूद्ध निर्मली थाना कांड संख्या-43/2022 दिनांक-21.2.2022 दर्ज किया गया।
2. विक्रेता एवं विक्रेता के प्रतिनिधि के अनुपस्थिति में भी दुकान निर्धारित समयावधि के बाद भी खुला पाया गया।
3. गोदाम में लगे दरवाजे बंद होने लायक नहीं होने के कारण खाद्यान्न असुरक्षित रूप में रखा पाया गया।
4. गोदाम को खुले छोड़ने से खाद्यान्न की क्षति होने, चोरी होने एवं विरूपित या विषाक्त होने की संभावना के प्रति लापरवाह पाया जाना।
5. ई.पॉश मशीन एवं इसके उपकरण के सही रख-रखाव नहीं करने एवं विरतण में बाधा डालने का प्रयास करना।

पुनरीक्षणकर्त्ता P.D.S dealer श्री भूपेन्द्र कुमार के P.D.S दुकान संचालन में कई प्रमाणित अनियमितता पाये जाने के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली द्वारा बिहार लक्षित सर्वाजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत कार्रवाई करते हुए आदेश दिनांक-18.8.2022 द्वारा श्री भूपेन्द्र कुमार के P.D.S अनुज्ञप्ति संख्या-32/18 को रद्द किया गया। साथ ही समाहर्त्ता, सुपौल के समक्ष दायर आपूर्ति अपील वाद संख्या-11/2022 में पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने तथा प्रमाणित घोर अनियमितता के आलोक में अपील वाद को खारिज कर दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन तथा कागजातों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि Petitioner द्वारा P.D.S दुकान का अनियमित संचालन किया गया है। Petitioner के स्तर से P.D.S दुकान संचालन से संबंधित Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order 2016 में निहित प्रावधानों तथा P.D.S अनुज्ञप्ति शर्तों का उल्लंघन किया गया है। Petitioner द्वारा वाद पत्र में किये जा रहे अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में जाँच के दौरान विक्रेता का दुकान निर्धारित अवधि के बाद खुला हुआ पाया गया। तथा भंडार में 1120 कि.ग्रा. गेहूँ एवं

	15.4.2026	39 कि.ग्रा. चावल कम पाये जाने से संबंधित तथ्य अंकित है जो अनाज को लाभुकों को वितरण नहीं करने के प्रमाणित तथ्य के आलोक में प्रथम दृष्टया कालाबाजारी का मामला प्रतीत होता है। Petitioner की ओर से सुनवाई में उक्त के संबंध में कोई Counter Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है एवं तदनुसार इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। Rajesh K. 15/4/2026. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Rajesh K. 15/4/2026. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	